राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः सी.डी./ 2010/409 दिनांकः 24.05.2010

समस्त सयुंक्त निदेशक,
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें, जोन--राजस्थान

समस्त मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी,

समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,

समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान

विषयः– चिकित्सकों, नर्सिगं एंव पैरामेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु।

राज्य सरकार एंव निदेशालय स्तर से समय समय पर दिये गये पूर्व निर्देशों के बावजूद सामान्यतः देखा गया है कि राज्य के चिकित्सा संस्थानों, अधिकाशतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्रो आदि पर चिकित्सक,नर्सिगं एंव पैरामेडिकल स्टाफ मुख्यालय पर निवास नही करते है, यहॉ तक कि उच्चाधिकारियों के भ्रमण के दौरान अस्पतालों में कुछ चिकित्सक/स्टाफ अस्पताल समय में भी ड्यूटी से अनुपस्थित पाये जाते है। इस स्थिति के कारण वर्तमान में गर्मी के मौसम के कारण मौसमी/जलजनित बिमारियों, मलेरिया डेंगू आदि की रोकथाम, नियंत्रण, बचाव एंव उपचार की सुविधाये आमजन को समय पर उपलब्ध नही होती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय कार्यकमों के लक्ष्यों की उपलब्धियां अर्जित करने पर भी विपरित असर पडता है।

चिकित्सकों, नर्सिगं एंव पैरामेडिकल स्टाफ का मुख्यालय पर नही रहना या अस्पताल समय में अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति को प्रमुख स्वास्थ्य सचिव महोदय द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया गया है। अतः राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों,नर्सिगं एंव पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये निम्नांकित निर्देश प्रदान किये जाते है :–

- सभी चिकित्सा संस्थान जहॉ पर राजकीय आवास निर्मित है, उनका आवंटन सम्बन्धित स्टाफ को तुरन्त किया जावें।
- ऐसे चिकित्सक/स्टाफ जिन्हे राजकीय आवास आवंटित है, उनको मकान किराया भत्ता नही दिया जाकर, उन्हे पाबन्द किया जावें कि वे आवंटित आवास में आवश्यक रूप से निवास करें।
- सम्भागं/जिला/खण्ड स्तरीय अधिकारी भ्रमण के समय यह सुनिश्चित करे कि जिन कार्मिको को आवास आवंटित है, वे उनमें स्थाई रूप से रह रहें है अथवा नही तथा इसका पूर्ण विवरण अपनी भ्रमण टिप्पणी में आवश्यक रूप से देवें। जो अधिकारी/कर्मचारी आवंटित आवास में रहते हुये नही पाये जावें उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

6/

- किसी भी चिकित्सक,नर्सिंग एंव पैरामेडिकल स्टाफ को आसपास के शहरों से अप–डाउॅन करने की लिखित या मौखिक अनुमति नही दी जावें।
- खण्ड स्तर तक के चिकित्सा संस्थानों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ एड– पोस्ट/उपकेन्द्र पर यदि कोई चिकित्सक या स्टाफ उच्चाधिकारियों के भ्रमण के दौरान अनुपस्थित अथवा मुख्यालय पर रहना नही पाया जाता है तो इसके लिये सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होगें।
- जिला मुख्यालय स्तर के अस्पतालों/डिस्पेंन्सरी में अनुपस्थित पाये जाने वाले चिकित्सकों/ कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होगें।
- सभी सयुंक्त निदेशक जोन/मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की चिकित्सा संस्थानों की आकस्मिक जाचॅ कर चिकित्सकों/कर्मचारियों का मुख्यालय पर ठहराव सुनिश्चित किया जावें।
- सभी चिकित्सा संस्थानों में निर्मित आवास ग्रहों में आवश्यक आधारभूत सुविधायें जैसे बिजली पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें ताकि कर्मचारियों में राजकीय आवास में रहने की प्रवृति को बढावा मिल सकें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य) 24/5/10
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वस्थ्य विभाग, राजस्थान।
2. परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी/मिशन निदेशक, एनआरएचएम, मुख्यालय।
3. निदेशक (आरसीएच/एड्स/आईईसी), मुख्यालय।
4. समस्त जिला राज्य स्तरीय, जिला प्रभारी अधिकारियों को भेज कर निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे जिलों में भ्रमण के समय उक्त निर्देशों की पालना कढाई से सुनिश्चित करावें।
5. प्रभारी सर्वर रूम, निदेशालय को भेज कर लेख है कि उक्त निर्देशों को विभागीय वेबसाईट पर उप–लोड करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य) 24/5/10
चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।